चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 02.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 12 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(1). उ0नि0 श्री रविकांत राय थाना रैपुरा मय हमराह उ0नि0 श्री राम प्रीत सिंह,उ0नि0 श्री सुभाष राम उ0नि0 श्री जटाशंकर शुक्ला, उ0नि0 श्री सुनील कुमार राय थाना रैपुरा द्वारा मु0अ0सं0 1036/2016 धारा 323,504,324,506 भादवि के वारंटी अभियुक्त 1.उदल पुत्र स्व0 रामनरेश 2. राजवा पुत्र सुखनंदन रविदास निवासी गाना लौढ़िया माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह थाना पहाड़ी द्वारा मु0सं0 2656/2022 धारा 279,337,338 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त नत्थू पुत्र रामसनेही निवासी वक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ मय हमराही आरक्षी दीपक यादव व आरक्षी सतीश यादव द्वारा एसटी नंबर 499/23 अ0सं0 126/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त बड़का उर्फ शत्रुघ्न पत्र कैलाश निवासी ग्राम वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह मय हमराही आरक्षी रविंद्र कुमार,आरक्षी नागेश कुमार द्वारा क्रिमिनल केस 4616/2022 धारा एक्ट 2 सेक्शन, एक्ट 2,एक्ट 3 सेक्शन एक्ट 3 के वारंटी अभियुक्त हेमराज उर्फ अजु पुत्र झगडु कोरी निवासी चित्र गोकुलपुर सीतापुर कोतवाली कर विजन पर चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री अनंत कुमार तिवारी थाना सरधुवा मय हमराह उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा,मुख्य आरक्षी कमलाकांत द्विवेदी,आरक्षी दीपक कुमार आरक्षी प्रवीण कुमार उपाध्याय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 19/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम के गारंटी अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र चुकऊवा निवासी ग्राम बिहरवा बांगर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5).उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह थाना सरधुवा मय हमराह उ0नि0 श्री प्रवेश यादव, आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह, रिक्रूट आरक्षी अमरजीत मौर्य,आरक्षी विशाल कुमार के द्वारा मु0अ0सं0 170/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारंटी अभियुक्त श्याम बिहारी पुत्र स्व0 अवधेश मिश्रा निवासी ग्राम कुचौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). उ0नि0 श्री रविंद्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय,उ0नि0श्री अमरेश चंद्र तिवारी,उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, आरक्षी सौरभ पटेल,आरक्षी अंकित यादव द्वारा वाद संख्या 25/24 धारा 144 बीएनएसएस के वारंटी अभियुक्त 1.राजकुमार पुत्र पन्नालाल निवासी भरतपुर मजरा गाहुर पोस्ट मनका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 2. मु0अ0सं0 24/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त प्यारेलाल बसोर पुत्र छोटेलाल बसोर निवासी जमीरा कॉलोनी मजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पांडेय थाना बहिलपुरवा मय हमराह आरक्षी रोहित कुमार यादव,आरक्षी चालक जितेंद्र मौर्य द्वारा मु0नं0 50/15 धारा 216 ए भादवि व 12/14 डीए एक्ट के वारंटी अभियुक्त बृजनंदन पटेल पुत्र जनार्दन निवासी ग्राम टेड़वा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). उ0नि0 श्री बंशनारायण सिंह चौकी प्रभारी सरैया मय हमराह हे0का0 संदीप देव ,आरक्षी अनूप व म0 आरक्षी राधा विश्वकर्मा द्वारा मु0अ0स0 62/2024 धारा 323/325/504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजू उर्फ रज्जू कोरी पुत्र स्व0 कुशल प्रसाद उर्फ चुकउवा नि0ग्राम गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(9). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी मय हमराह का0 तेजबली सिंह द्वारा मु0अ0स0 35/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त कैलाश बसोर पुत्र श्यामलाल बसोर नि0 इन्द्रानगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा व उनकी टीम ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि थाना मानिकपुर अन्तर्गत एक निवासिनी वादिया द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी उसके साथ अभियुक्त चिराग सैनी पुत्र सुशील कुमार सैनी द्वारा शादी की झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 113/26 धारा 69,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीडिता का बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस कराए गए । आज दिनाँक 02.08.2026 को निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्त चिराग सैनी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा
2. उ0नि0 श्री रामजी उपाध्याय
3. आरक्षी आदर्श ,
4. आरक्षी सतीश मौर्य

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा व उनकी टीम ने नाबालिक के साथ बार-बार बलात्कार, अश्लील वीडियो वायरल करने,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि थाना मानिकपुर अन्तर्गत एक निवासिनी नाबालिक वादिया द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी उसके साथ अभियुक्त सिद्धार्थ पुत्र विश्वास द्विवेदी द्वारा 01 साल पहले कई बार रेप किया तथा उसका वीडियो बना लिया। अब उसने वह वीडियो अपने दोस्तो के पास भेजकर वायरल कर दिया मना करने पर गंदी गंदी गालिया व जान से मारने की धमकी दिया। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 धारा 64(2)ड,352/351(3)बीएनएस, 5एल/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीडिता का बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस कराए गए । आज दिनाँक 02.08.2026 को निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्त सिद्वार्थ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा

2. उ0नि0 श्री रामजी उपाध्याय
3. आरक्षी आदर्श ,
4. आरक्षी सतीश मौर्य

(5) आज दिनांक 02.08.2026 को श्रावण मास एवं आगामी सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाडी श्री निशिकान्त राय की उपस्थिति में थाना पहाड़ी क्षेत्र स्थित पालेश्वर नाथ महाराज मंदिर एवं नादी के हनुमान जी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था तथा भीड़ प्रबंधन के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता एवं प्रभावी पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

(6),आज दिनांक 05.04.2026 को पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसियेशन उ0प्र0(वामा सारथी) के तत्वाधान में क्षेत्राधिकारी लाइन श्री राजकमल के निर्देशन में पुलिस लाइन्स चित्रकूट स्थित कान्हा सभागार में होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर एवं टाटा 1 एमजी द्वारा स्वस्थ परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें होम्योपैथिक विभाग टीम द्वारा डॉ0 मुकेश पाण्डेय व0चि0अ0, श्री बद्री प्रसाद वर्मा फार्मासिस्ट श्री विपिन शुक्ला एवं टाटा 1 एमजी टीम द्वारा पुलिसकर्मियों व पुलिस परिवारीजनों का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कर औषधि वितरण की गयी।

आज दिनांक 2 /08 /026 को रिजर्व पुलिस लाइन कान्हा सभागार में पुलिस उपाधीक्षक महोदय श्री राजकमल के निर्देशन में हुआ वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वदान में वाम बैलेंस कैंप के अंतर्गत होम्योपैथिक वार्ड टाटा 1mg फार्मेसी लैब टेस्ट स्वास्थ्य सिविल लगाया गया इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पांडे वह फार्मासिस्ट बद्री प्रसाद और टाटा 1mg लाइव टेस्ट विकास मिश्रा विपिन शुक्ला द्वारा उनकी टीम पुलिस व पुलिस परिवार जनों एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय परामर्श दिए गए एवं निशुल्क दवाएं प्रदान कीजिए जनपद चित्रकूट